राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 16.09.2014

परिपत्र – 5

भामाशाह योजना के सम्बन्ध में दिनांक 15.09.2014 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग में सामने आए बिन्दुओं के क्रम में निम्न स्पष्टीकरण/अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किए जाते है–

1. **नामांकन डेटा की गुणवत्ता** – भामाशाह नामांकन में संकलित सूचना की शत प्रतिशत सत्यता सुनिश्चित किया जाना प्रथम प्राथमिकता है। इस क्रम में अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। नामांकन डेटा की गुणवत्ता पूर्णरूप से सुनिश्चित करने के लिये–
   (अ) शिविर में पदस्थापित शिविर प्रभारी तथा वरिष्ठ अधिकारियों का कार्य प्रमुखतः नामांकन डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अतः यह अपेक्षित है कि प्रत्येक शिविर प्रभारी एवं अन्य अधिकारी प्रतिदिन नामांकन डेटा को पूर्णतः जाँचेंगे एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
   (ब) संकलित डेटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए "Concurrent Audit" आयोजना विभाग के पत्र क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/, दिनांकः 13.09.2014 के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे।
   (स) सत्यापक डेटा को अपलोड करने से पूर्व शत–प्रतिशत मामलों में फीडेड डेटा की संलग्न दस्तावेजों एवं नामांकन प्रपत्र में अंकित प्रविष्ठियों से मिलान कर सत्यापन सुनिश्चित करेगा। किसी निवासी के नामांकन में कोई भी त्रुटि पाए जाने पर सत्यापक ऐसे नामांकन को डिजीटली हस्ताक्षर कर अपलोड नहीं करेगा।
2. **द्वितीय स्तरीय सत्यापन** – प्रथम सत्यापन के बाद अपलोडेड डेटा में न्यूनतम 95 प्रतिशत गुणवत्ता वाले नामांकनों का डेटा ही द्वितीय सत्यापन के लिए प्रिंट लेकर चस्पा करने की कार्यवाही की जाएगी।
3. **जिला स्तरीय गुणवत्ता निरीक्षण**– राजकॉम्प द्वारा नामांकित परिवारों के डेटा की गुणवत्ता जाँच के लिए प्रत्येक जिले को गुणवत्ता निरीक्षण मोड्यूल के माध्यम से जिला स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। जिला कलक्टर, 5–10

संगणकों/सूचना सहायकों के गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन कर अपने स्तर पर ही नामांकित डेटा की गुणवत्ता का निरीक्षण कर उसमें सुधार एवं अद्यतन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

4. परिपत्र – 4 दिनांक 03–09–2014 के बिन्दु 12 में उल्लेखित व्यवस्था के साथ ही बैंकों एवं स्थानीय सहयोग से, शिविर में उपस्थित 9 वर्ष से कम आयु के बालक–बालिकाओं के लिये ग्लूकोज बिस्किट्स की व्यवस्था (4 से 6 बिस्किट्स की पैकिंग में) भी करायी जाये। इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि बिस्किट अच्छी कम्पनी के हों, उनकी पैकिंग सही प्रकार हो तथा उनके उपयोग की अवधि पार न हो।

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
8. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान।
9. गार्ड पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः13.09.2014

जिला कलेक्टर, समस्त
राजस्थान।

विषयः- भामाशाह योजनान्तर्गत नामांकन डाटा की गुणवत्ता बाबत।

संदर्भः- परिपत्र-4 क्रमांकःएफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/दिनांकः03.09.2014

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार नामांकन में रह गयी त्रुटियों को उपलब्ध दस्तावेज तथा भरे गये नामांकन प्रपत्र के आधार पर प्रथमतः ब्लॉक स्तर पर दूर किया जाना है। इस हेतु ब्लॉक में सम्पन्न हुए शिविरो की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक के राजस्थान आई.टी.सम्पर्क केन्द्र पर आवश्यकतानुसार ब्लॉक/जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत सूचना सहायकों एवं संगणकों का दल गठित किया जाकर त्रुटियों को दूर करने का कार्य निम्नानुसार किया जाएगा :-

अ. संपन्न हुए शिविरों में नामांकन में त्रुटि सुधार

1. नामांकन एजेन्सी द्वारा 3-4 नामांकन मशीनें मय आपरेटर ब्लॉक स्तर पर लगाई जाएंगी।
2. सूचना सहायकों एवं संगणकों द्वारा नामांकन के लिए फीड की गई सूचना का प्रिन्ट लेकर, मूल नामांकन प्रपत्र तथा संलग्न दस्तावेजों से मिलान किया जायेगा। सूचना में भिन्नता पाये जाने पर मूल नामांकन प्रपत्र अनुसार प्रिन्ट प्रपत्र पर हाथ से संशोधन किया जावेगा।
3. यदि किसी नामांकन में हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के अनुवाद में भिन्नता हो तो उसमें भी संशोधन किया जाना है।
4. उक्तानुसार संशोधित डाटा नामांकन एजेन्सी के ऑपरेटर द्वारा ब्लॉक स्तर पर फीड कर त्रुटियों को दुरूस्त किया जायेगा।
5. इस प्रकार संशोधित डाटा फीडिंग उपरान्त संबधित सत्यापकों से पुनः डाटा सत्यापित कराया जाकर ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड की प्रविष्टियां त्रुटि रहित कर अपलोड की जानी हैं।
6. ब्लॉक स्तर पर त्रुटियाँ दूर करने के उपरान्त शेष रही त्रुटियाँ अथवा ऐसी त्रुटियाँ जिनको दूर करने के लिए नामांकित परिवार/व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है, को

दूर करने हेतु शिविर स्थल अथवा दो-तीन पंचायतों के क्लस्टर पर पुनः शिविर (Follow-Up Camps) आयोजित किये जाएंगे।

7. एक मशीन पर दो सूचना सहायक/संगणक के अनुपात में कार्मिक लगाये जाने हैं।
8. यदि सूचना सहायकों एवं संगणकों की अपेक्षित उपलब्धता नहीं हो तो स्नातक या उससे अधिक योग्यता रखने वाले अन्य विभागों के कार्मिकों को लगाकर त्रुटियों को दूर किया जावे।

ब. **नामांकन शिविरों में त्रुटि सुधार**

1. कतिपय जिलों द्वारा नियमित शिविरों में त्रुटि रहित नामांकन सुनिश्चित करने के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के साथ सूचना सहायक, संगणक, भू-अभिलेख निरीक्षक व अन्य कार्मिकों को लगाकर Concurrent Audit करवायी गयी है, जिसके सार्थक एवं सफल परिणाम प्राप्त हुये है। इस हेतु नामांकन ऑपरेटर द्वारा एन्ट्री के उपरान्त नामांकन प्रपत्र का प्रिन्ट आऊट लेकर इन कार्मिकों द्वारा इसका पूर्व में भरे गये एवं सत्यापित किये गये प्रपत्र से शत-प्रतिशत मिलान कर त्रुटियों को साथ ही ऑपरेटर से ठीक कराया जाना है।
2. इन शिविरों में नामांकित सूचना का प्रिन्ट लेकर निवासी को पढ़कर भी सुनाया गया, जिससे नामांकन की गुणवत्ता में और सुधार हुआ है।
3. अतः उपरोक्त प्रकिया को आयोजित किए जा रहे शिविरों में उक्तानुसार सूचना सहायक एवं संगणकों के दल गठित कर नामांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
4. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रथम सत्यापक द्वारा यथासंभव इस प्रकिया के उपरान्त ही कम्प्यूटर पर सत्यापन किया जाए।

अतः उक्तानुसार नामांकन त्रुटियों का दुरूस्तीकरण तथा Concurrent Audit कराना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना